—: राजस्थान सरकार:—

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु0नं0—39/2023

(जीसीएमएस नं0 2023/54)

उनवान —सरकार बनाम 1.अनुपम यादव पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद, उम्र 32 वर्ष, जाति यादव, मालिक मैसर्स— ओजिसो लाईफ साईस प्रा0 लि0 जी1/116 रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर, निवासी कमला नगर निकट कूकरा ब्लॉक मुजफ्फर नगर यू0पी0, 2. ज्योति प्रसाद पुत्र श्री रामपाल, डायरेक्टर मैसर्स—ओजिसो लाईफ साईस प्रा0 लि0 जी1/116 रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर, निवासी विकास कुप, बडा उखाडा, राजपुर चुंगी, आगरा यू0पी0, 3. सौरभ साहनी पुत्र श्री सुभाष चन्द्र साहनी, डायरेक्टर मैसर्स—ओजिसो लाईफ साईस प्रा0 लि0 जी1/116 रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर, निवासी 10 डिफेन्स एस्टेंट, फेस —1 , ग्वालियर रोड, आगरा (यू.पी.)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/52एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

<u>निर्णय</u> **दिनांक —29.01.2024**

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री पदम सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त 1.अनुपम यादव पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद, उम्र 32 वर्ष, जाति यादव, मालिक मैसर्स— ओजिसो लाईफ साईस प्रा0 लि0 जी1/116 रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर, निवासी कमला नगर निकट कूकरा ब्लॉक मुजफ्फर नगर यू0पी0, 2. ज्योति प्रसाद पुत्र श्री रामपाल, डायरेक्टर मैसर्स—ओजिसो लाईफ साईस प्रा0 लि0 जी1/116 रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर, निवासी विकास कुप, बडा उखाडा, राजपुर चुंगी, आगरा यू0पी0, 3. सौरभ साहनी पुत्र श्री सुभाष चन्द्र साहनी, डायरेक्टर मैसर्स—ओजिसो लाईफ साईस प्रा0 लि0 जी1/116 रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर, निवासी 10 डिफेन्स एस्टेंट, फेस —1 , ग्वालियर रोड, आगरा (यू.पी.) के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा धारा 2(ii)/51एफ0एस0एस0एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 07.04.2023 को अभियुक्त/अप्रार्थी की मैसर्स— ओजिसो लाईफ साईस प्रा0 लि0 जी1/116 रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर फर्म के निरीक्षण के दौरान फर्म में लगभग 155 बोतल (प्रत्येक 200 एमएल) Dietory Food Suppliment (Naxxlyco Syrup) आम जनता के विक्रय करने हेतु रखा था। उक्त Dietory Food Suppliment (Naxxlyco Syrup) में मिलावट का शक होने पर उक्त Dietory Food Suppliment (Naxxlyco Syrup) में से 12 बोतल (प्रत्येक 200 एमएल) ग्राम Dietory Food Suppliment (Naxxlyco Syrup) वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त Dietory Food Suppliment (Naxxlyco Syrup) नमूना डी—2771 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की जॉच रिपोर्ट एलएस/404/एसीटी/2023/447 दिनांक 21.04.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया Dietory Food Suppliment (Naxxlyco Syrup) मिसब्राण्ड प्रकृति का होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्तगण/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थीगण स्वंय उपस्थित हुये। अप्रार्थीगण को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थीगण ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

—: राजस्थान सरकार:—

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

प्रकरण मु0नं0—39/2023 उनवानी सरकार बनाम अनुपम यादव वगैरा

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थीगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त मिसब्राण्ड Dietory Food Suppliment (Naxxlyco Syrup) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण मिसब्राण्ड Dietory Food Suppliment (Naxxlyco Syrup) बेचने का दोषी है जो धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थीगण श्री अनुपम यादव पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद, उम्र 32 वर्ष, जाति यादव, मालिक मैसर्स— ओजिसो लाईफ साईस प्रा0 लि0 जी1/116 रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर, निवासी कमला नगर निकट कूकरा ब्लॉक मुजफ्फर नगर यू0पी0, 2. ज्योति प्रसाद पुत्र श्री रामपाल, डायरेक्टर मैसर्स—ओजिसो लाईफ साईस प्रा0 लि0 जी1/116 रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर, निवासी विकास कुप, बडा उखाडा, राजपुर चुंगी, आगरा यू0पी0, 3. सौरभ साहनी पुत्र श्री सुभाष चन्द्र साहनी, डायरेक्टर मैसर्स—ओजिसो लाईफ साईस प्रा0 लि0 जी1/116 रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्रोथ सेंटर धौलपुर, निवासी 10 डिफेन्स एस्टेंट, फेस —1 , ग्यालियर रोड, आगरा (यू.पी.) पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत राशि 33000/—रुपये (तेतीस हजार रूपये) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर(राज0)